



2026:AHC:129640

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 21864 वर्ष 2026

अभिषेक सागर

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : संदीप कुमार त्रिपाठी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन, मुकदमा अपराध संख्या 143 वर्ष 2026, धारा 69, 352, 351(3), 115(2) बी.एन.एस., थाना - ठाकुरद्वारा, जिला - मुरादाबाद के अंतर्गत आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक और पीड़िता सहमतिजन्य संबंध में थे और आवेदक द्वारा शादी का कोई झूठा वादा कभी नहीं किया गया था। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 22.05.2026 से जेल में है।
4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और तर्क दिया है कि आवेदक वर्तमान मामले में एकमात्र अभियुक्त है। उसने पीड़िता के साथ मारपीट की है और उसकी मेडिकल रिपोर्ट में उसके शरीर पर चोटें भी पाई गई हैं।
5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज बयान के अवलोकन से, प्रथम दृष्टया, न्यायालय की राय में, आवेदक द्वारा संबंध बनाने के लिए शादी का कोई झूठा वादा किया गया प्रतीत नहीं होता है। आरोप-पत्र भी दाखिल किया जा चुका है और आवेदक के खिलाफ विचारण निकट भविष्य में समाप्त होने की संभावना नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 22.05.2026 से जेल में है।

7. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जमानत के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

8. जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

9. अभियुक्त-आवेदक अभिषेक सागर, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में शामिल है, को संबंधित अदालत के संतोष के अनुसार व्यक्तिगत बंध पत्र और समान राशि की दो विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा कर दिया जाए:

i. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

ii. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।

iii. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें नहीं डराएगा और विचारण में सहयोग करेगा।

iv. आवेदक विचारण अदालत द्वारा तय की गई प्रत्येक तारीख पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित अदालत द्वारा उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दे दी गई हो।

10. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, विचारण न्यायालय को उसकी जमानत निरस्त करने के लिए आगे बढ़ने की स्वतंत्रता होगी।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई और संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचनबद्धता के साथ सत्यापित इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।



12. यह आगे निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए 'बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम' के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजेगी।

13. यहाँ की गई टिप्पणियाँ विशेष रूप से इस जमानत आवेदन को तय करने के लिए हैं और इन्हें मामले के गुण-दोषों पर राय नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

30 जून, 2026

सचिन